

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

२६, किसान भवन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल

एकल लायसेंस

(एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञाप्ति)

नियम - 2009

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यव की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108 भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 मार्च 2009—फाल्गुन 11, शक 1930

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2009

क्र. डी-15-33-2007-चौदह-3.— मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 32-की सहपठित धारा 79 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (छह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जिसका प्रकाशन धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में किया जा चुका है, अर्थात् :—

नियम

अध्याय-एक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञासि) नियम, 2009 है।

(2) ये “राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973);
- (ख) “बोर्ड” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड;
- (ग) “धारा” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन की धारा;
- (घ) “संचालक” से अभिप्रेत है, संचालक और उसमें सम्मिलित है अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक;

- (ः) “अपर संतक” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश राज्य कृषि विषयन बोर्ड का अपर संचालक;
- (च) “उप संचालक” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश राज्य कृषि विषयन बोर्ड का उप संचालक;
- (छ) “अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी” से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, जिसे अधिनियम के अधीन विशेष अनुज्ञासि प्रदान करने या नवीकृत करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये;
- (ज) “वाणिज्यक संव्यवहार” से अभिप्रेत है, ऐसा संव्यवहार, जो मण्डी प्रांगण के भीतर या यण्डी प्रांगण के बाहर, मण्डी क्षेत्र के भीतर या मण्डी क्षेत्र के बाहर, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर व्यापारी द्वारा कृषि उपज के उपभोक्ताओं को विक्रय, क्रय, अनुशांगिक विक्रय-क्रय हेतु प्रसंस्करण करने या भण्डारण या विक्रय के संबंध में किया गया हो जिसमें राज्य की किसी मण्डी समिति को मण्डी फीस का भुगतान पूर्व में ही कर दिया गया हो और मण्डी फीस के भुगतान से संबंधित जानकारी विहित प्ररूप में संबंधित मण्डी समिति को प्रस्तुत कर दी गई हो;
- (झ) “प्ररूप” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (ञ) “कदाचरण” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार, प्रबंध संचालक, कलक्टर या प्राधिकृत अधिकारी, उप संचालक, मण्डी समिति द्वारा भेजी गई जानकारी जानबूझकर प्राप्त नहीं करना या प्राप्त करने से इकार करना या बोर्ड, प्रबंध संचालक या प्राधिकृत प्राधिकारी, मण्डी समिति द्वारा जारी किये गये आदेश/निदेश की अवज्ञा करना या समय-सीमा में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत न करना या अनुरूप या असत्य जानकारी प्रस्तुत करना;
- (ट) “विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र” से अभिप्रेत है, मण्डी समिति का ऐसा क्षेत्र जिसे धारा 32-के अधीन अनुज्ञासिधारक के लिये अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये घोषित किया गया है;
- (ठ) “विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र” से अभिप्रेत है, विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में अनुज्ञासिधारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये स्थापित किया गया क्रय केन्द्र और एक्सचेंज अनुज्ञासिधारक के मामले में मण्डी प्रांगण में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की सुविधाएं इसमें सम्मिलित होंगी;
- (ड) “विशेष अनुज्ञासि” से अभिप्रेत है, अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये धारा 32-की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञासि;
- (ঢ) “केन्द्र प्रभारी” से अभिप्रेत है, विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि उपज का उचित विनियमन तथा नियंत्रण करने के लिये प्रशासनिक मण्डी समिति के सचिव या उप संचालक द्वारा पदस्थ किया गया अधिकारी/कर्मचारी;
- (ণ) “प्रशासनिक मण्डी समिति” से अभिप्रेत है, धारा 11 के अधीन गठित वह मण्डी समिति जिसे धारा 32-के अधीन विशेष अनुज्ञासिधारक मण्डी कृत्यकारी के लिये घोषित विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के विषयन पर नियंत्रण का पूर्ण अधिकार निहित है;
- (ত) “एक्सचेंज” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ঠ) में यथापरिभाषित आढतिया के रूप में कार्य करने वाली कोई नियमित सत्ता जो वाद चला सकती है और जिसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकता है और जो अधिसूचित कृषि उपज की स्पार्ट ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है;
- (থ) “स्पार्ट ट्रेडिंग” से अभिप्रेत है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म के माध्यम से एक्सचेंज द्वारा क्रेता तथा विक्रेता के मध्य नियन्त्रित के अध्यधीन रहते हुए अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार—
- (১) ऐसे समस्त व्यापार जो कि पूर्व निर्धारित तथा प्रदर्शित संविदा विनिर्देशों, जिसमें गुणवत्ता विनिर्दिष्ट करते हुए ऐसी गुणवत्ता की कमी तथा वृद्धि पर कटौती एवं बढ़ोत्तरी आधारित हो;

- (2) ऐसे समस्त व्यापार जो दिन के अंत में आवश्यक रूप से उपज के तौल, सौंपने तथा भुगतान में परिणत होंगे;
- (3) जिसमें अग्रसर व्यापार स्थितियां पूर्णतः प्रतिबंधित होंगी.
- (द) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित किया गया है.

अध्याय-दो

3. अधिसूचित प्राधिकारी।—(1) राज्य सरकार, विशेष अनुज्ञासि देने, नवोकृत करने या देने से इन्कार करने के प्रत्येक नियम के लिये प्राधिकारी या अधिकारी अधिसूचित करेगी।

(2) किसी व्यक्ति को, जो धारा 32-के अधीन एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने का आशय रखता है, अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी से विशेष अनुज्ञासि प्राप्त करना होगी।

अध्याय-तीन

विशेष अनुज्ञासि का जारी किया जाना

4. विशेष अनुज्ञासि का दिया जाना।—(1) विशेष अनुज्ञासि केवल व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता तथा नियम 2 के खण्ड (त) में यथापरिभाषित एक्सचेंज को प्रदान की जा सकेगी।

(2) विशेष अनुज्ञासि, ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये दी जा सकेगी जो किसी वित्तीय वर्ष में अधिसूचित कृषि उपज के निम्नलिखित समूह में से किसी एक या एक से अधिक कृषि उपज का क्रय, उनके समक्ष वर्णित न्यूनतम मात्रा में, समस्त क्रय केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए उत्पादकों से करेगा:—

| | | |
|-----|---------------------------|--------------------|
| (क) | सब्जी, फल तथा फूल | 10,000 मेट्रिक टन |
| (ख) | मसाले | 10,000 मेट्रिक टन |
| (ग) | तन्तु (कपास आदि) | 25,000 गठान |
| (घ) | तिलहन | 50,000 मेट्रिक टन |
| (ड) | धान्य तथा दलहन | 50,000 मेट्रिक टन |
| (च) | वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज | 2,000 मेट्रिक टन : |

परन्तु, एक्सचेंज अनुज्ञासिधारक के मामले में उपरोक्त वर्णित उपबंध प्रभावशील नहीं होंगे।

5. अनुज्ञासि फीस।—विशेष अनुज्ञासि के लिये फीस रुपये 2,00,000 (रुपये दो लाख) होगी। अनुज्ञासि फीस का भुगतान, अनुज्ञासि देने का विनिश्चय लिये जाने के पश्चात् किया जायेगा।

6. प्रतिभूति।—(1) अनुज्ञासिधारी द्वारा, अनुज्ञासि देने का विनिश्चय किये जाने के पश्चात् विभिन्न अधिसूचित कृषि उपजों के लिये, समस्त क्रय केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित प्रतिभूति प्रस्तुत की जायेगी:—

| | | |
|-----|-------------------|--|
| (क) | सब्जी, फल तथा फूल | प्रति क्रय केन्द्र रुपये 5 लाख किन्तु न्यूनतम रुपये 50 लाख |
| (ख) | मसाले | प्रति क्रय केन्द्र रुपये 10 लाख किन्तु न्यूनतम रुपये 100 लाख |

| | | |
|-----|---------------------------|--|
| (ग) | तनु (कपास आदि) | प्रति क्रय केन्द्र रूपये 10 लाख किन्तु न्यूनतम रूपये 100 लाख |
| (घ) | तिलहन | प्रति क्रय केन्द्र रूपये 10 लाख किन्तु न्यूनतम रूपये 100 लाख |
| (ड) | धान्य तथा दलहन | प्रति क्रय केन्द्र रूपये 10 लाख किन्तु न्यूनतम रूपये 100 लाख |
| (च) | वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज | प्रति क्रय केन्द्र रूपये 2 लाख किन्तु न्यूनतम रूपये 20 लाख : |

परन्तु, एक्सचेंज अनुज्ञासिधारक के मामले में प्रति केन्द्र रूपये 2 लाख किन्तु न्यूनतम रूपये 20 लाख की प्रतिभूति अनुज्ञासिधारक द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। प्रतिभूति की रकम एफ. डी. आर. या बैंक गारंटी के रूप में होगी। एफ. डी. आर. बोर्ड के पक्ष में बन्धक (एसेज) की जायेगी। बैंक गारंटी ऐसे अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गयी होनी चाहिए जिसका शाखा भोपाल (मध्यप्रदेश) में अवस्थित हो। बैंक गारंटी पूरे पांच वर्ष के लिये होगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत एफ. डी. आर. या बैंक गारंटी बोर्ड मुख्यालय में रखी जायेगी। तथापि, राज्य सरकार के उपक्रम के लिये एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये विशेष अनुज्ञासि को देने वे लिये प्रतिभूति की रकम जमा करना आवश्यक नहीं होगा। बशर्ते कि ऐसे उपक्रम के लिये विक्रेताओं को अधिनियम की धारा 37 के उपबन्धों के अधीन उनकी कृषि उपज का भुगतान करना आवश्यक होगा।

(2) आवेदक द्वारा प्रतिभूति निषेप के लिये एफ. डी. आर. या बैंक गारंटी प्ररूप-चार में प्रतिभूति के प्रमाण-पत्र के साथ अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

7. अनुज्ञासि के लिये आवेदन.—(1) ऐसा प्रत्येक व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता या एक्सचेंज, जो एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में कार्य करने का इच्छुक है, अनुज्ञासि के लिये, नियम 3 के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को विहित प्ररूप-एक में आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन प्ररूप बोर्ड के मुख्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) आवेदक, आवेदन प्ररूप के साथ रु. 10,000/- (रूपये दस हजार) की आवेदन फीस के रूप में बोर्ड मुख्यालय में जमा करेगा।

(3) आवेदक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:—

- (एक) रुपये 10,000 के जमा करने की रसीद अथवा उक्त रकम का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो प्रबंध संचालक के पक्ष में देय हो;
- (दो) एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय हेतु मण्डी क्षेत्रों की सूची, उनका अभिन्यास (ले-आउट), भण्डारण स्थल, गोदाम की क्षमता, कार्यालय का पता तथा प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में पदस्थ समस्त कर्मकारों की पदीय हैसियत के साथ उनके नाम/पिता का नाम;
- (तीन) आवेदक व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता या एक्सचेंज तथा उनके भागीदारों का नाम, मण्डी क्षेत्र में उपलब्ध स्थावर सम्पत्ति का व्यौरा और उससे संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां;
- (चार) पूर्ववर्ती वर्ष के आयकर/वाणिज्यक कर के भुगतान संबंधी सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र, तथा विवरणी (रिटर्न), बैलेंस शीट तथा लेखाओं की चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट की छायाप्रति;
- (पांच) बैंक खातों की अनुप्रमाणित छायाप्रति के साथ विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों के बैंक खातों की सूची;
- (छह) अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने हेतु उपलब्ध पूँजी से संबंधित जानकारी;
- (सात) प्ररूप-दो में घोषणा-पत्र।

8. विशेष अनुज्ञासि दी जाने संबंधी प्रक्रिया.—(1) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों की संबंधित मण्डी समितियों के सचिव से अमांग/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

(2) अपूर्ण आवेदन-पत्र स्वीकृत नहीं किये जाएंगे तथा कमियों/त्रुटियों को सात दिन की कालावधि के भीतर लिखित में आवेदक को सूचित किया जायेगा। यदि आवेदन-पत्र में दर्शित कमियों/त्रुटियों का आवेदक द्वारा 15 दिन के भीतर परिशोधन नहीं किया जाता है तो ऐसा आवेदन-पत्र स्वतः अस्वीकृत हो जायेगा तथा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा और कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(3) अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञासि हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र की संवीक्षा के पश्चात् संबंधित मण्डी समिति के सचिव तथा सभापति उप संचालक से उल्लेखित मण्डी क्षेत्रों तथा क्रय केन्द्रों की ऐसी जांच, जो आवश्यक समझी जाये, की जा सकेगी। अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को विशेष अनुज्ञासि के आवेदन-पत्र से किसी मण्डी क्षेत्र अथवा क्रय केन्द्र को हटाने या इसे संशोधित करने वाली शक्ति होगी।

(4) अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी 60 दिन की कालावधि के भीतर प्ररूप-तीन में विशेष अनुज्ञासि दे सकेगा या उसे नवीनीकृत कर सकेगा या लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञासि देने या नवीनीकृत करने से इंकार कर सकेगा।

(5) विशेष अनुज्ञासि देने या उसका नवीनीकरण करने से इंकार करने की दशा में आवेदन फीस का पचास प्रतिशत राशि काटकर, शेष रुपये 5000/- (रुपये चाँच हजार) की रकम 15 दिन के भीतर आवेदक को वापस कर दी जायेगी।

(6) जिस ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के कार्यक्षेत्र में जहां मण्डी प्रांगण या उपमण्डी प्रांगण स्थित है, उसकी सीमा से न्यूनतम 3 किलोमीटर के भीतर क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु विशेष अनुज्ञासि नहीं दी जायेगी तथापि कमज़ोर या निष्क्रीय मण्डी या उपमण्डी के मामले में और सब्जी, फल तथा फूलों के मामले में भी वह प्रतिबंध लागू नहीं होगा:

परन्तु, यह उपबंध एकसचेंज अनुज्ञासिधारक को लागू नहीं होंगे। एकसचेंज अनुज्ञासिधारक के मामलों में प्रथमतः मण्डी प्रांगण में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा स्थापित करनी होगी।

(7) ऐसे स्थान पर क्रय केन्द्र की स्थापना करने के लिये अनुज्ञासि जारी नहीं की जायेगी जो आवेदक के प्रसंस्करण संयंत्र से एक किलोमीटर से कम की दूरी के भीतर स्थित हो तथापि सब्जी, और फल तथा फूलों के मामले में प्रसंस्करण संयंत्र के परिसर में क्रय केन्द्र की स्थापना हेतु छूट प्राप्त होगी।

(8) इस प्रकार प्रदान की गई विशेष अनुज्ञासि, केवल विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में और अनुज्ञासि क्रय केन्द्रों पर ही प्रभावी होगी:

परन्तु विशेष अनुज्ञासिधारक/व्यापारी द्वारा विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के मण्डी/उपमण्डी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज का क्रय और वाणिज्यक संब्यवहार के अपीन अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय, मण्डी क्षेत्र के अन्य अनुज्ञासिधारक/व्यापारी के समान ही अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा। उपविधियों में विहित उपबन्ध ऐसे समस्त क्रय, विक्रय तथा प्रसंस्करण के लिये विशेष अनुज्ञासिधारक पर समान रूप से लागू होंगे।

(9) विशेष अनुज्ञासि के स्वीकृत होने के पश्चात् यदि अनुज्ञासिधारक विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में अतिरिक्त क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करता है तो अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी आवश्यक जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् नियम-6 में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्याभूति की रकम की एफ. डी. आर. अथवा बैंक गारंटी प्राप्त करने के पश्चात् अतिरिक्त क्रय केन्द्र की स्थापना करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करेगा।

(10) यदि अनुज्ञासिधारक, विशेष अनुज्ञासि दिये जाने की तारीख के छह माह के भीतर किसी विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र में अधिसूचित कृषि उपज का क्रय प्रारंभ नहीं करता है, तो ऐसे क्रय केन्द्र के संबंध में जारी की गयी विशेष अनुज्ञासि स्वयमेव स्वतः शून्य हो जाएगी।

9. प्रतिभूति का निपटारा.—(1) यदि अनुज्ञसिधारक द्वारा विक्रेताओं को उनकी उपज की देय बकाया रकम तथा मण्डी समिति को शोध्य अन्य देय रकम का भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत एफ. डी. आर. या बैंक गारंटी से देय भुगतान व्याज के साथ अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा। एफ. डी. आर. या बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत प्रतिभूति निक्षेप की शेष रकम अनुज्ञसिधारक को, उसके द्वारा मांग की जाने पर, विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के सचिव से अमांग/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर वापस की जायेगी।

(2) यदि अनुज्ञसिधारक, उसकी विशेष अनुज्ञसि को समर्पित करने की वांछा करता है, तो अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी, उचित जांच के पश्चात् जमा की गई प्रतिभूति रकम का प्रतिसंदाय करने का या प्रतिसंदाय न करने या भागतः प्रतिसंदाय करने का विनिश्चय कर सकेगा। अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा अनुज्ञसिधारक पर बाध्यकारी होगा।

10. अनुज्ञसि की कालावधि.—(1) प्रारंभ में अनन्तिम अनुज्ञसि दी जायेगी तथा एक वर्ष की कालावधि के लिये होगी। अनन्तिम अनुज्ञसि में यह शर्त होगी कि अनुज्ञसिधारक इस एक वर्ष की कालावधि के दौरान क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाओं का सृजन करेगा:—

- (एक) इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज
- (दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था
- (तीन) समुचित प्रकाश व्यवस्था
- (चार) पुरुष/महिला के लिये शौचालय की प्रसुविधा
- (पांच) शेड की व्यवस्था
- (छह) कृषकों के लिये छायादार विश्राम स्थल
- (सात) भुगतान काउन्टर
- (आठ) टेक्टर ट्राली की पार्किंग की समुचित व्यवस्था
- (नौ) नर्मा, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण तथा मानव शक्ति।

(2) एक्सचेंज अनुज्ञसिधारक के मामले में, निम्नानुसार अतिरिक्त अधोसंरचनाएं मण्डी प्रांगण में उपलब्ध कराई जावेंगी:—

- (एक) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म;
- (दो) उपयुक्त उपकरण के साथ ट्रेणीकरण, किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा।
- (तीन) सुपुर्दगी केन्द्र।

(3) प्रथम वर्ष की कालावधि के समाप्त होने के दो मास के पूर्व बोर्ड, क्रय केन्द्र के निरीक्षण करने के पश्चात् अनुज्ञसिधारक द्वारा उपनियम (1) तथा उपनियम (2) में उल्लेखित सुविधाओं को सृजित करने के संबंध में बोर्ड को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(4) अनुज्ञसिधारक द्वारा उपनियम (1) तथा उपनियम (2) में उल्लेखित सुविधाओं का सृजन कर लेने की स्थिति में उसे आगामी 4 वर्षों के लिये विशेष अनुज्ञसि दी जायेगी।

(5) ऐसे अनुज्ञसिधारकों को, जिन्हें मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञसि) नियम, 2003 के अधीन विशेष अनुज्ञसियाँ दी गयी हैं, उन्हें ऐसे क्रय केन्द्रों में उपनियम (1) तथा उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सुविधाओं का सृजन एक वर्ष की कालावधि के भीतर करने की सूचना दी जायेगी। अनुज्ञसिधारकों द्वारा इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर, ऐसी अनुज्ञसियों की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् उनका नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

11. अनुज्ञसि का प्रदर्शित किया ज्ञाना.—अनुज्ञसिधारक, कारबार के मुख्यालय की स्थापना पर अनुज्ञसि की मूलप्रति तथा सहयोगी स्थापना और विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के क्रय केन्द्र पर उसकी अनुप्रमाणित छायाप्रति संप्रदर्शित करेगा। इसकी अनुप्रमाणित प्रति विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र की संबंधित मण्डी समिति को भी प्रस्तुत की जायेगी।

12. विशेष अनुज्ञसि का नवीनीकरण.—(1) व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता या एक्सचेंज जिसे अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने हेतु विशेष अनुज्ञसि दी गयी है, विशेष अनुज्ञसि की कालावधि समाप्त होने के 60 दिन के पूर्व अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को विशेष अनुज्ञसि के नवीनीकरण हेतु विहित प्ररूप-एक में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदक, रुपये 10,000 (रुपये दस हजार) की रकम आवेदन फीस के रूप में बोर्ड मुख्यालय में जमा करेगा या इस रकम का रेखांकित बैंक ड्राप्ट प्रबंध संचालक के पक्ष में तैयार करके प्रस्तुत करेगा।

(3) नियम 7 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट समस्त दस्तावेज आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे।

(4) विशेष अनुज्ञसि के नवीनीकरण हेतु, नियम 8 में विनिर्दिष्ट समस्त आवश्यक प्रक्रिया अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(5) विशेष अनुज्ञसि के नवीनीकरण के निर्णय की सूचना प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् आवेदक द्वारा रुपये 2,00,000 (रुपये दो लाख) की अनुज्ञसि फीस बोर्ड मुख्यालय में जमा कराई जायेगी।

(6) विशेष अनुज्ञसि के नवीकृत करने के विनिश्चय संबंधी सूचना प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् आवेदक नियम 6 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप के रूप में एफ. डी. आर. जो प्रबंध संचालक के पक्ष में बन्धक (प्लेज) होगी, या किसी अनुसूचित बैंक में, जिसकी शाखा भोपाल में स्थित हो, द्वारा जारी की गयी बैंक गारंटी प्ररूप-चार के साथ प्रस्तुत करेगा। बैंक गारंटी अनुज्ञसि की पूर्ण कालावधि के लिये होगी।

(7) विशेष अनुज्ञसि नवीकृत करने के इंकार करने के विनिश्चय की दशा में, आवेदन फीस की 50 प्रतिशत रकम काटकर शेष रु. 5000/- (रुपये पाँच हजार) आवेदक को वापस कर दी जाएगी।

(8) विशेष अनुज्ञसि का नवीनीकरण प्ररूप-तीन में किया जायेगा।

13. विशेष अनुज्ञसि का निलंबन या रद्दकरण.—(1) अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञसि को निलंबित या रद्द किया जा सकेगा, यदि अनुज्ञसिधारकः—

- (क) जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा अनुज्ञसि प्राप्त करता है या उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई व्यक्ति कोई भंगकारित करता है या अनुज्ञसि के किन्हीं निबन्धनों या शर्तों का उल्लंघन करता है; या
- (ख) अन्य अनुज्ञसिधारकों के साथ मिलकर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कृषि उपज का विपणन प्रविरत हो गया है, स्थगित हो गया है या रुक गया है, या
- (ग) दिवालिया हो गया है, या
- (घ) अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अधीन कदाचार के लिये दोषी साक्षित किया गया है, या
- (ड) किसी मण्डी समिति, कृषकों, बोर्ड के हितों के विरुद्ध आचरण करता है, या
- (च) नियमों और उपविधियों के अधीन न्यायालय, प्रबंध संचालक या मण्डी समिति द्वारा दोषी साक्षित किया गया है, या
- (छ) 30 दिन की अधिकतम कालावधि के भीतर देय मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का व्याज के साथ भुगतान नहीं करता है, या

- (ज) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के किसानों/विक्रेताओं को उनसे क्रय की गयी कृषि उपज का भुगतान विहित कालावधि के भीतर नहीं करता है, या
- (झ) सूचना/मांगपत्र में उल्लिखित कालावधि के भीतर बोर्ड या प्रशासनिक मण्डी समिति के पास देय रकम जमा न करते हुए भुगतान में व्यतिक्रम करता है, या
- (ञ) विहित समय-सीमा के भीतर यथास्थित बोर्ड या मण्डी समिति के कार्यालय में विहित नियत कालिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है, या
- (ट) बोर्ड या मण्डी समिति के हितों के विरुद्ध कार्य करता है, या
- (ठ) अधिसूचित कृषि उपज की तुलाई या हम्माली के लिये अप्राधिकृत व्यक्तियों को लगाता है; या
- (ड) विक्रेता की उपज की तुलाई में वास्तविक मात्रा के कम तौलते हुए पाया गया है तथा उसे हानि पहुंचाता है, या
- (ढ) अधिसूचित कृषि-उपज की यथा अपेक्षित न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय नहीं करता है:

परन्तु किसी अनुज्ञित को निलंबित करने या रद्द करने के पूर्व, अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा अनुज्ञितधारक को सुनवाई का कम से कम पन्द्रह दिन का युक्ति-युक्त अवसर दिया जाएगा। यदि अनुज्ञितधारक द्वारा विहित समय-सीमा के भीतर कारण बताओ सूचना का जबाब नहीं दिया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि अनुज्ञितधारक कारण बताओ सूचना में दर्शित आरोपों से सहमत है और अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को एक पक्षीय विनिश्चय करने की शक्ति होगी।

(2) कारण बताओ सूचना का जबाब प्राप्त होने पर, अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा उसकी संवीक्षा की जाएगी। संवीक्षा और व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात्, यदि अनुज्ञित निलंबित या रद्द की जाती है तो अनुज्ञित को निलंबित/रद्द करने का आदेश, कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हुए अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा पारित किया जायेगा। पारित किये गये आदेश को प्रति समस्त विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों के सचिवों को तथा संभागीय उप संचालक को भी अनुपालन के लिये भेजी जाएगी।

14. अनुज्ञित के इन्कार, नामंजूर या निलंबन की सूचना—अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञित प्रदान करने/नवीनीकरण करने से, इन्कार करने से संबंधित जानकारी या विशेष अनुज्ञित को निलंबित या रद्द करने से संबंधित जानकारी निम्नलिखित रीति में दी जाएगी:—

- (क) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर, या
- (ख) उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को परिदृत करके।

अध्याय-चार

अपील

15. अपील—विशेष अनुज्ञित देने से इन्कार करने या विशेष अनुज्ञित के निलंबन/रद्दकरण आदेश से व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

अध्याय-पांच

विशेष अनुज्ञित के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय-क्रय की शर्तें

16. विक्रय-क्रय का स्थान—विशेष अनुज्ञित के धारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय-क्रय, अनुज्ञित में विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में मण्डी/उपमण्डी प्रांगणों तथा अनुज्ञित में उल्लिखित विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों पर ही किया जा सकेगा :

परन्तु विशेष अनुज्ञित के धारक को भी नियम-४ के उप नियम (८) के परन्तुके उपवन्ध लागू होंगे।

17. करार का निष्पादन.—(1) अनुज्ञप्तिधारक, विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में क्रय केन्द्रों पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय के लिये विक्रेता के पक्ष में तीन प्रतियों में प्ररूप-पांच में एक करार, हस्ताक्षरित करते हुए निष्पादित करेगा, करार की एक प्रति क्रेता द्वारा प्रतिधारित की जाएगी। एक प्रति विक्रेता को दी जाएगी और शेष एक प्रति मण्डी समिति के सचिव या उसके द्वारा पदस्थ केन्द्र प्रभारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) क्रेता/व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज, करार के निष्पादन के पश्चात् विधि अनुसार प्रमाणित और सत्यापित विद्युत-तौल-कांटे (इलेक्ट्रानिक ब्रिज) पर विक्रेता की कृषि उपज को तलबाएगा।

(3) क्रेता द्वारा विक्रेता के पक्ष में प्ररूप-छह में एक विक्रय वाउचर तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा और विक्रेता को उपज के मूल्य का देय भुगतान करते हुए करार के अनसार उसके हस्ताक्षर अधिपाप्त किये जाएंगे।

(4) एक्सचेंज अनुज्ञितधारी होने की दशा में खण्ड (1), (2) तथा (3) में उल्लिखित उपबंधों का अनुपालन क्रेता व्यापारी की ओर से एक्सचेंज द्वारा किया जाएगा।

18. भुगतान के संबंध में विक्रेता को शिकायतों का निपटारा.—यदि विशेष अनुज्ञप्ति के धारक और विक्रेता के बीच की गई अधिसूचित कृषि उपज की दर, तौल, मूल्य और/या भुगतान के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है, तो संबंधित मण्डी की मण्डी समिति के सचिव को शिकायत प्रस्तुत की जाएगी तथा इसकी एक प्रति संभागीय उप संचालक को दी जाएँगी। सचिव, प्रकरण की समुचित जांच के पश्चात् सात दिन की कालावधि के भीतर शिकायत का निपटारा करेगा। किन्तु विक्रेता को भुगतान के संबंध में शिकायत होने की दशा में, सचिव तुरन्त कार्रवाई करेगा और प्रबंध संचालक तथा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को लिखित में तत्काल सुनचना देगा।

19. अनुज्ञिधारक का कर्तव्य—विनोदिष्ट मण्डी क्षेत्र के क्रय केन्द्रों पर विशेष अनुज्ञिधारक क्रेता व्यापारी, प्रसंकरणकर्ता अथवा एक्सचेंज—

- (क) अधिसूचित कृषि-उपज के तौलने के लिए अपेक्षा के अनुसार उचित और सही विद्युत-तौल-कांटा (इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज) स्थापित करेगा। तौल-कांटा (वे ब्रिज) का प्रचालक, मण्डी समिति को अनुज्ञितधारक होगा चाहिए।

(ख) अनुज्ञित के प्रथम वर्ष के दौरान नियम-10 में यथा उल्लिखित प्रसुविधाओं का सूजन करेगा।

(ग) कम से कम 3' x 3' आकार का एक साईन-बोर्ड लगाएगा, जिसमें क्रय केन्द्र का नाम, अनुज्ञितधारी फर्म का नाम, अनुज्ञित क्रमांक और कारबार उल्लिखित किया जाएगा।

20. मण्डी फीस की वसूली और उसका भुगतान.—देय मण्डी फीस का भुगतान, मण्डी रमिति के कार्यालय में जमा किया जाएगा और विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज के क्रय पर विशेष अनुज्ञिति के धारक द्वारा ग्रन्ति द्वारा प्राप्त की जाएगी।

21. अधिसूचित कृषि उपज का प्रेषण, विक्रय और प्रसंस्करण।—विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में प्रत्येक क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य का विक्रेता को पूर्ण भुगतान करने और मण्डी समिति को मण्डी फीस और निराश्रित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् ही अनुज्ञाप्तिधारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय, प्रसंस्करण या प्रेषण किया जायेगा। अधिसूचित कृषि उपज का प्रेषण करने के लिये विशेष अनुज्ञाप्ति के धारक को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (6) के उपबन्धों तथा उपविधियों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा जारी अनज्ञा-पत्र प्राप्त करना होगा।

22. विशेष अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना।—(1) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा, विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज के कारबाह से संबंधित नियतकालिक विवरणियाँ, मण्डी समिति, संभागीय उप संचालक और योर्ड के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएंगी। अनुज्ञप्तिधारक, प्रबंध संचालक और अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा समय समय पर पथा अपेक्षित समस्त अभिलेख और जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(2) अनुज्ञाप्तिधारक द्वारा, अधिसूचित कृषि उपज के कारबार से संबंधित पाक्षिक विवरणियां प्रशासनिक मण्डी समिति के सचिव को प्ररूप-सात में प्रस्तुत की जाएंगी। मास की पहली तारीख से पन्द्रह तारीख तक की कालावधि की विवरणी मास की पच्चीस तारीख तक, और सोलह तारीख से मास की समाप्ति तक की विवरणी आगामी मास की दस तारीख तक प्रस्तुत की जाएंगी। यदि पाक्षिक विवरणी, विहित समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं की जाती है तो मण्डी समिति, सचिव/उप संचालक द्वारा पदस्थ केन्द्र प्रभारी द्वारा अनुज्ञापत्र जारी नहीं किए जाएंगे। समस्त अधिसूचित कृषि उपज के क्रय पर देय मण्डी फीस का भुगतान किए बिना कृषि उपज का विक्रय, प्रेषण और प्रसंस्करण प्रतिषिद्ध रहेगा।

(3) अनुज्ञाप्तिधारक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पहली अप्रैल से इकतीस मार्च तक के कारबार के पूर्ण ब्यौरे प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक मण्डी समिति के सचिव को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि उपज के दैनिक क्रय की विशिष्टियां, अनुज्ञाप्तिधारक द्वारा, प्ररूप-आठ में एक रजिस्टर में रखे जाएंगे। अनुज्ञाप्तिधारक, मण्डी समिति द्वारा क्रय केन्द्र पर पदस्थ केन्द्र प्रभारी से रजिस्टर का निरीक्षण करवाएंगा, विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र, अन्य मण्डी क्षेत्रों और राज्य से बाहर कृषि उपज का क्रय और उसके ब्यौरे, उपाबन्ध (1) के अनुसार होंगे और उपाबन्ध (2) में यथा उपदर्शित विक्रय/प्रेषण के संबंध में पाक्षिक, विवरणी, यथास्थिति, फर्म के अधिकारी या प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी।

23. निरसन एवम् व्यावृत्तियां—इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त “मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञाप्ति) नियम, 2007” तथा इस विषय पर अन्य नियम तथा आदेश, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को निरस्त हो जायेंगे:

परन्तु इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व दी गयी या नवीकृत की गयी विशेष अनुज्ञाप्तियां उनकी कालावधि समाप्त होने तक प्रवृत्त रहेंगी तथा तत्पश्चात् उनका नवीकरण इन नियमों के अधीन किया जायेगा।

प्ररूप-एक

(नियम 7 देखिए)

एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में

अनुज्ञाप्ति देने के लिए/अनुज्ञाप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन

आवेदन क्रमांक
दिनांक

प्रति,

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी

1. आवेदक/फर्म का नाम तथा पता, जो मण्डी क्षेत्रों में कारबार करना चाहता है।
2. आवेदक का नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता
दूरभाष क्रमांक
3. आवेदक व्यक्ति (इंडिविज्यूअल) से भिन्न हो तो फर्म/ हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/कम्पनी/सोसाइटी, समस्त कार्यकर्ता/भागीदार/
संचालक के नाम एवं पूर्ण पते।

| नाम (1) | पिता का नाम (2) | आयु (3) | पता (4) | दूरभाष नं. (5) | पुलिस स्टेशन का नाम (6) |
|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------------|
|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------------|

4. यदि आवेदक फर्म/कम्पनी/सहकारी सोसायटी है तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख।

5. आवेदक व्यापारी है या प्रसंस्करणकर्ता, एक्सचेंज—
(व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज)
6. पूर्ववर्ती वर्ष का अनुज्ञित क्रमांक (यदि कोई हो)
7. आवेदक का वाणिज्यिक कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक टी.आई.एन. क्रमांक तथा केन्द्रीय आबकारी कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
8. आवेदक का आयकर का स्थायी खाता क्रमांक
(पी.ए.एन.) (कृपया छायाप्रति संलग्न करें)
9. मध्यप्रदेश में स्थित उस बैंक का नाम, जिसमें आवेदक का खाता है:

| अनुक्रमांक | बैंक तथा ब्रांच का नाम/शाखा | खाते का प्रकार | खाता क्रमांक | बैंक खाते में आवेदन के तारीख को जमा रकम | अभ्युक्ति |
|------------|--------------------------------|-------------------|--------------|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

(कृपया उपलब्ध निधि के प्रमाण के रूप में शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित समस्त बैंक खातों की छायाप्रति संलग्न करें।)

10. आवेदक, फर्म आदि द्वारा मध्यप्रदेश में विनिधान की गई पूँजी (कृपया विवरण दें) :—
11. उन मंडी क्षेत्रों का नाम, जिनमें आवेदक द्वारा कारबार प्रस्तावित है—

| अनुक्रमांक | मण्डी क्षेत्र का नाम | संबंधित मण्डी समिति का नाम | मण्डी क्षेत्र में क्रय हेतु प्रस्तावित कृषि उपज का नाम तथा अनुमानित मात्रा नियम 4(2) देखिए | कृषि उपज का नाम | वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली अनुमानित मात्रा (मेट्रिक टन में) |
|------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

12. यथा उपदर्शित मण्डी क्षेत्रों में आवेदक द्वारा प्रस्तावित क्रय केन्द्रों के नाम—
कृपया अभिन्यास (ले-आउट) संलग्न करें,

| अनु. क्र. | दर्शित मण्डी क्षेत्र का नाम | दर्शित प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में प्रस्तावित क्रय केन्द्रों का क्र. तथा नाम | क्रय केन्द्र प्रभारी/प्रबंधक का नाम, पता, दूरभाष नं. | वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित क्रय केन्द्र पर क्रय हेतु प्रस्तावित कृषि-उपज का नाम तथा अनुमानित मात्रा | अभ्युक्ति |
|--------------|-----------------------------------|---|---|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

13. आवेदक द्वारा क्रय केन्द्र पर सृजित की गई सुविधाओं की जानकारी—
(नियम-10 देखें)

- (क) इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
- (ख) पेयजल की व्यवस्था
- (ग) समुचित प्रकाश की व्यवस्था
- (घ) भुगतान काउन्टर/कार्यालय
- (ङ) नमी/कचरा/क्षतिप्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति
- (च) कृषकों के विश्राम हेतु छायादार विश्राम स्थल
- (छ) पुरुष/महिला के लिए शौचालय की सुविधा
- (ज) ट्रैक्टर-ट्राली की पर्किंग की समुचित व्यवस्था
- (झ) शेड की व्यवस्था

एक्सचेंज अनुज्ञितधारक के मामलों में—

- (एक) इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म;
- (दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण, किसम परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा;
- (तीन) सुपुर्दगी केन्द्र.

14. अनुक्रमांक 12 में दर्शाये गये क्रय केन्द्र का अभिन्यास (ले-आउट), उपलब्ध गोदाम की संख्या तथा भंडारण क्षमता—(सूची संलग्न करें तथा गोदाम के स्वामी के नाम आदि की जानकारी दें):

| अनु. क्र. | क्रय केन्द्र का नाम | उपलब्ध गोदाम | गोदाम का स्थान | गोदाम के स्वामी का नाम | स्थान/स्थिति | भूमि आदि की विशिष्टियां यदि भूमि उपलब्ध हो |
|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

15. अनुक्रमांक 11 और 12 के अनुसार अनुमोदित क्रय केन्द्रों पर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की मात्रा—(सूची संलग्न करें) :

| अनु. क्र. | मण्डी का नाम | क्रय केन्द्र का नाम | क्रय की गई कृषि उपज का नाम तथा मात्रा | उपज का मूल्य |
|-----------|-----------------|------------------------|--|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | कृषि उपज का नाम (मेट्रिक टन में) | क्रय की गई मात्रा (मेट्रिक टन में) |

16. आवेदक फर्म के सभी क्रय केन्द्रों पर अधिसूचित कृषि उपजों के कारबार के लिए कार्य करने हेतु अधिकृत किये गये व्यक्तियों / सेवकों की सूची—

| अनु. क्रमांक | नाम का नाम | पिता का नाम | पता | दूरभाष क्रमांक | आवंटित कार्य एवं दायित्व (आवंटित कार्य में किसी परिवर्तन की दशा में प्रशासनिक मण्डी समिति को सूचना दी जाएगी) | फर्म कम्पनी/ सोसायटी में स्वामी/ भागीदार/संचालक/ प्रबंधक आदि के रूप में पदीय हैंसियत | हस्ताक्षर के नमूने (दो) |
|-----------------|------------------|-------------------|-----|-------------------|---|--|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

17. कम्पनी/फर्म/सोसाइटी के कारबार का प्रमुख स्थान, मुख्यालय, कार्यालय तथा शाखाओं की सूची—

| अनु. क्र. | कारबार का मुख्य स्थान | मुख्यालय/ कार्यालय | शाखाओं के नाम/पते | शाखा प्रभारी का नाम, पता, दूरभाष क्रमांक-कार्यालय/ निवास | कार्यालय प्रमुख का नाम/पता/दूरभाष क्रमांक-कार्यालय/ निवास |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

18. क्या आवेदक एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगणों में क्रय करना चाहता है? यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें:—

| अनु क्र. | मण्डी समिति एवं मण्डी प्रांगण/ उपमण्डी प्रांगण का नाम | मण्डी/उप-मण्डी प्रांगण में उपलब्ध गोदाम/दुकान का विवरण |
|----------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |

19. क्या आवेदक राज्य की किसी मण्डी समिति का अनुज्ञप्तिधारक है या पूर्व में रहा है? यदि हाँ तो निम्नलिखित विवरण दें:—

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|---|--|
| अनु. क्र. | फर्म एवं मंडी समिति का नाम | अनुज्ञप्ति वर्ष | अनुज्ञप्ति का प्रकार | (विगत वर्ष के दौरान) क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की मात्रा एवं मूल्य | भुगतान की गई ¹ मण्डी फीस |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

20. (एक) क्या किसी मण्डी समिति द्वारा पिछले पांच वर्षों में अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द की गई है?

(दो) क्या मण्डी समिति द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित की गई है?

यदि हाँ, तो कारण दें:—

21. अधिसूचित कृषि उपज के नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति अपेक्षित हैं।

22. आवेदक द्वारा दर्शित/विनिर्दिष्ट प्रत्येक केन्द्र पर वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली अधिसूचित कृषि-उपज की कुल मात्रा-(अनुमानित) :

| अनु. क्र. | मण्डी क्षेत्र का नाम | अधिसूचित कृषि-उपज की प्रस्तावित क्रय मात्रा कृषि-उपज का नाम | क्रय की प्रस्तावित मात्रा (मेट्रिक टन में) |
|-----------|----------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

23. प्रस्तावित क्रय केन्द्रों की मंडी/उपमण्डी प्रांगण से दूरी:—

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|---|
| अनु. क्र. | मण्डी क्षेत्र का नाम | मण्डी प्रांगण/ उप मण्डी प्रांगण का नाम | प्रस्तावित क्रय केन्द्र का नाम | मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण की ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय की सीमा से क्रय केन्द्र की दूरी (कि.मी. में) | प्रसंस्करणकर्ता/व्यापारी, एक्सचेंज आवेदक के प्रसंस्करण संयंत्र से क्रय केन्द्र की दूरी (कि.मी. में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

24. मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है। मैं/हम उनका समुचित पालन करूंगा/करेंगे तथा वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

निवेदन है कि वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति फीस रूपये तथा प्रतिभूति रूपये स्वीकार कर दर्शित/विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में कारबार करने हेतु 01 अप्रैल से 31 मार्च . . . वर्ष के लिए विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने की कृपा करें।

ग्राहक :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर तथा मुद्रा
(पटीय हैसियत सहित)

घोषणा

मैं/हम, आवेदक, एतद्वारा, निष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ/करते हैं कि आवेदन-पत्र में प्रस्तुत उपर्युक्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास से सत्य है तथा सही अभिलेखित की गई है और कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है।

2. आवेदक ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, नियम, उपचारिधि, नियमावली उचित रूप से पढ़ लिये हैं, उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुए ही अधिसूचित कृषि-उपज का कारबार किया जाएगा।

3. अधिसूचित कृषि उपज का विक्रेताओं को देय भुगतान या मण्डी समिति को देय मण्डी फीस के भुगतान के संबंध में कोई मामला ढी समिति अथवा किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।

4. अधिनियम, नियम, उपचारिधि, नियमावली में दी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन किए जान पर आवेदक को दी गई अनुज्ञाप्ति निलंबित रद्द कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगी।

5. आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि बोर्ड या मण्डी समिति द्वारा जारी किये गये आदेशों/नियमों का पूर्ण रूप से पालन जायेगा।

6. आवेदक, अनुज्ञाप्ति के लिये विहित आवेदन फीस एवं आवेदन-पत्र से संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है।

7. अनुज्ञाप्ति का आवेदन-पत्र के अनुमोदन से संबंधित जानकारी प्राप्त होने के सात दिन के भीतर आवेदक द्वारा विहित अनुज्ञाप्ति एवम् प्रतिभूति आपके कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी।

1 : 1.

2.

3.

:
:

भागीदारों/संचालकों के हस्ताक्षर

कार्यालय के उपयोग हेतु

1. कुल रूपये पैसे (शब्दों में) (रूपये) धन रसीद क्रमांक दिनांक युसार, अनुज्ञाप्ति फीस के रूप में प्राप्त किये और अनुज्ञाप्ति रजिस्टर में अनुक्रमांक पर प्रविष्टि की गई।

(क) (लेखापाल)

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत लेखा बहियों का खाते (लेजर) से सत्यापन विनिर्दिष्ट मण्डी समिति द्वारा कर लिया गया है तथा सम्पूर्ण लिये आवेदक द्वारा किये गये क्रयों के मूल्य पर रूपये मण्डी फीस और रूपये निराश्रित शुल्क जमा देया गया है आवेदक ने वित्तीय वर्ष दौरान विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने हेतु निखित व्यौरे के अनुसार प्रतिभूति राशि रूपये की सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी है।

(क) रूपये के लिये सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी क्रमांक

बैंक का नाम

(ख) बैंक गारंटी रूपये बैंक तथा शाखा का नाम

तारीख तक के लिये वैध।

(लेखापाल)

(सहायक लेखाधिकारी)

लेखाधिकारी

3. विशेष अनुज्ञाप्ति अस्वीकृत किये जाने के संबंध में जारी आदेश का क्रमांक /दिनांक या

स्वीकृति की स्थिति में अनुज्ञाप्ति क्रमांक

त सहायक

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी

प्ररूप—दो
(नियम 7 देखिये)

घोषणा-पत्र

1. मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का पूरा भुगतान विक्रेता को धारा 37 की शर्तों के अधीन उसी दिन किया जाएगा।

2. मैं/हम यह भी वचन देता हूँ/देते हैं कि धारा 37 की शर्तों के उल्लंघन की दशा में छठवें दिन, धारा 37 की उपलब्ध (2) के खण्ड (ग) के अधीन मेरी/हमारी अनुज्ञित स्वतः: निरस्त हो जाएगी और मुझे/हमें या हमारे किसी भी नातेदार को आगामी एक वर्ष तक की कातावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञित मंजूर नहीं की जाएगी और ऐसा होने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार दिए गए वचन और अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के उपबंधों का मेरे/हमारे द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो प्रशासनिक मण्डि समिति एवं अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को मेरी/हमारी अनुज्ञित रद्द करने देने का अधिकार होगा, जिसमें मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

4. मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे नाम पर आवेदन-पत्र की तारीख को मध्यप्रदेश में निम्नलिखित जंगम/स्थावर संपत्ति उपलब्ध है जिस पर मेरा/हमारा विधिक स्वामित्व है:—

| जंगम संपत्ति | बैंक/ब्रांच का नाम | खाता क्रमांक | जमा रकम |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------|
| (क) चालू (करण्ट) खाते में जमा रकम | | | |
| (ख) बचत खाते में जमा रकम | | | |
| (ग) सावधि (फिक्सड) में जमा | | | |
| (घ) अन्य जमा रकम | | | |
| योग . . . | | | |

| स्थावर संपत्ति | स्थान | क्षेत्रफल | अनुमानित वाजाह मूल्य |
|-----------------------------|-------|-----------|----------------------|
| (क) भूमि | | | |
| (ख) भवन/दुकान/कारखाना/गोदाम | | | |
| (ग) अन्य संपत्ति | | | |
| योग . . . | | | |

3. मैं/हम एतद्वारा यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि आवेदन की तारीख को मेरे/हमारे नाम निम्नलिखित जंगम स्थावर सम्पत्ति उपलब्ध है, जिस पर मेरा/हमारा विधिक स्वामित्व है।

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम, पदाधिधान/हैसियत
पुरा पता

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विषयन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप—तीन
(नियम 8 देखिये)

एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार के लिए विशेष अनुज्ञाप्ति

अनुज्ञाप्ति क्रमांक तारीख

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स पता
को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु
तारीख माह वर्ष को विशेष अनुज्ञाप्ति अनन्तिम रूप से दी जाती है/नवीनीकृत की
जाती है:-

| अनु.क्र. | अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष गई है/ नवीनीकृत की गई | विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार करने हेतु अनुज्ञाप्ति दी गई है | संबंधित मण्डी समिति/समितियों के नाम | विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम | कारबार का स्थान, कार्यालय का पता | कार्यालय प्रगत्य का नाम, पदनाम एवं पता |
|----------|--|---|---|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

2. इस अनुज्ञाप्ति के अधीन अनुज्ञाप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केन्द्रों में फिलाकर नीचे
दथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करें :—

| अनु.क्र. | अधिसूचित कृषि उपज का नाम | प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मेट्रिक टन में) [नियम 4 (2) देखिए] |
|----------|--------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |

3. अनुज्ञाप्तिधारी, इस अनुज्ञाप्ति के दिये जाने/नवीनीकृत किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रत्येक विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों
पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:—

- (एक) इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज
- (दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था
- (तीन) प्रकाश की समुचित व्यवस्था
- (चार) पुरुष तथा महिलाओं के लिये शौचालय की प्रसुविधा
- (पांच) शेड की व्यवस्था
- (छह) किसानों के लिये छावाटार विश्राम स्थल
- (सात) भुगतान काउन्टर
- (आठ) ट्रैक्टर ट्राली आदि की पार्किंग की व्यवस्था
- (नौ) नगी, कचरा तथा क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति.

एक्सचेंज अनुज्ञितधारक के मामले में—

- (एक) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्लेटफार्म,
- (दो) उपयुक्त उपकरण के साथ ब्रेणीकरण, किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा.
- (तीन) सुपुर्दगी केन्द्र.

विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों में से किसी क्रय केन्द्रों में प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त प्रसुविधाओं को सृजित करने में असफल रहने पर, एक वर्ष के लिये दी गई अनन्तिम विशेष अनुज्ञित को ऐसे क्रय केन्द्र के लिये आगामी वर्षों के लिये नियमित नहीं किया जाएगा.

4. ह विशेष अनुज्ञित दिनांक से 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द की जा सकेगी।

5. यह अनुज्ञित निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी:—

- (एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर.
- (दो) मण्डी फोस, ग्रन्ति शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर.
- (तीन) मण्डी फोस, का अपवंचन करने, जाली अनुज्ञापत्र, रसीदें या अन्य जाली मण्डी अधिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर.
- (चार) मण्डी समितियों या बोर्ड को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर.
- (पांच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणयां प्रस्तुत न करने पर.
- (छह) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर.
- (सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर.

अनुज्ञित जारीकर्ता :

कार्यालय की मोहर :

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी

प्ररूप—चार
(नियम 6 देखिये)

प्रतिभूति के संबंध में प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी फर्म/कम्पनी/सौसाइटी पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री निमानुसार विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में व्यापारी के रूप में कार्य करना चाहता/चाहती है और इस प्रयोजन के लिए वह एतद्वारा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को आवेदन कर रहा/रही है:—

| क्रमांक (1) | विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति का नाम (2) |
|----------------|--|
|----------------|--|

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ दर्शित/विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय के लिए स्थापित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों की सूची संलग्न की गई है।

2. अनुज्ञित फीस के मद्दे में रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) बोर्ड के पक्ष में आहरित का एकाउंट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक तारीख इसके साथ संलग्न है.

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा रूपये के लिये प्रतिभूति के रूप में बोर्ड के पक्ष में बनाई गई सावधि जमा रखीद (एफ.डी.आर.)/बैंक गारंटी क्रमांक तारीख संलग्न है.

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक द्वारा क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का पूरा भुगतान विक्रेताओं को उसी दिन नहीं किया जाता है तो मंडी समिति के पक्ष में बनाई गई उपरोक्तानुसार सावधि जमा रखीद (एफ.टी.आर.)/बैंक गारंटी से भी विक्रेता को देय राशि का भुगतान करने की शक्ति प्रशासनिक मण्डी समिति के सचिव में निहित होगी.

5. यह भी ग्रामाणित किया जाता है कि सावधि जमा बैंक गारंटी द्वारा रकम जमा करने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा क्रय की जाने वाली कृषि उपज के भुगतान की कोई जोखिम विक्रेताओं की नहीं है।

स्थान :

प्राधिकारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख :

आवेदक का नाम

पदनाम/हैसियत

प्ररूप—पांच

(नियम 17 देखिये)

एक से अधिक मण्डो क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय हेतु विशेष अनुज्ञाप्ति से संबंधित करार प्रस्तुप

(धारा 37 के साथ पठित उपविधि 25 के उपबंधों के अधीन)

विशेष अनुज्ञितधारक क्रेता व्यापारी/फर्म/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज का नाम
विशेष अनुज्ञित क्रमांक करार प्ररूप क्रमांक जारी करने की तारीख

| | |
|-------------------------------------|--|
| 1. विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम | क्रय केन्द्र का नाम |
| 2. विक्रेता का नाम | पता |
| 3. कृषि उपज का नाम | प्रकार (यदि कोई हो) |
| गांठे | 4. करार के अनुसार दर/प्रति किलंटल/गांठ रुपये |

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/
एक्सचेंज फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर.

नाम

करार प्ररूप में उल्लिखित कृषि उपज का वास्तविक वजन/मात्रा:-

1. स्ट्रिंग की संख्या 2. बोरे/गांठों की संख्या 3. कल वजन/मात्रा

- शर्ते।—**(1) करार किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित कृषि उपज के लिये क्रेता क्रय करने हेतु आबद्ध हैं तथा विक्रेता विक्रय करने हेतु आबद्ध हैं। क्रेता द्वारा सीधे विक्रेता की कृषि उपज को प्रतिग्रहित करने से इन्कार नहीं किया जायेगा, प्रतिग्रहित करने से इंकार करने की दशा में उपविधियों के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। करार का उल्लंघन करने पर क्रेता की अनुज्ञाप्ति निलंबित अथवा रद्द करने के दायित्वधीन होगी।
- (2) करार के अनुसार कृषि उपज के तौल के दिन ही क्रेता द्वारा विक्रेता को भुगतान किया जायेगा। उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा में आगामी दिन से एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पांच दिन के भीतर विक्रेता को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
- (3) उसी दिन भुगतान प्राप्त नहीं होने की दशा में विक्रेता मण्डी समिति को सूचित करेगा। पांच दिन के पश्चात् शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी।

प्ररूप—छह

[नियम 17 (3) देखिये]

विक्रय वाउचर

विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य का भुगतान

बुक क्रमांक विक्रय वाउचर क्रमांक जारी करने की तारीख

1. क्रेता का नाम मण्डी क्षेत्र का नाम
क्रय केन्द्र का नाम
2. विक्रेता का नाम पता
3. निषादित करार प्ररूप क्रमांक

| कृषि उपज का नाम | करार प्ररूप के अनुसार तौल के पश्चात् वास्तविक वजन/मात्रा | (1) | करार प्ररूप के अनुसार दर (रु. प्रति ..) | (2) | कृषि उपज का मूल्य (रु.) | (3) | विलम्ब से भुगतान की दशा में अतिरिक्त भुगतान (रु.) | (4) | उपविधियों के विक्रेता को किया गया अनुसार वसूल शुद्ध भुगतान की गई हम्माली/ तुलाई की राशि (रु.) | (5) | (6) | (7) |
|-----------------|--|-----|---|-----|-------------------------|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|
|-----------------|--|-----|---|-----|-------------------------|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|

(क्रेता व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।)

(विक्रेता के हस्ताक्षर)

नोट।—धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन विक्रेता को उसी दिन भुगतान करना आवश्यक तथा विलम्ब की स्थिति में धारा 37 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन मूल्य का एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा।

Bib-hæk

[नियम 22 का उपनियम (2) देखिये]

अधिसूचित कृषि उपज/उपजों का क्रम

अनुरूपि क्रमांक
तुका
अनुशासितारक फर्म/व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एकमचेंज का नाम
(प्रतिवेदन की कलावधि तरीख से तारीख

| क्र. | विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम | कृषि उपज का नाम | पखवाड़े (फोटोनाइट) | पखवाड़े (फोटोनाइट) में विभिन्न स्तरों से | | | | विक्रय के लिये उपलब्ध स्टॉक |
|------|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | मण्डी प्रांगण/ उपमण्डी | क्रय केन्द्रों पर क्रय | विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में बिलों से क्रय | कुल क्रय से बिलों से | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | वर्जन/मात्रा | वर्जन/ प्रांगण से क्रय | वर्जन/ मूल्य | वर्जन/ मूल्य | वर्जन/ मात्रा |

| देय मण्डी फीस | भुगतान की गई मण्डी फीस के रूप में क्रय | जमा की गई मण्डी फीस | निर्गमन/उपयोग/विक्रय | प्रबोधादे में कृति | प्रबोधादे के दौरान शेष |
|---|--|---|--|---|---|
| वजन/मात्रा जिस पर मण्डी फीस देय है | मूल्य जिस वजन/मात्रा जिस पर मण्डी फीस देय है | मूल्य जिस पर मण्डी फीस देय है | रसीद क्र. राशि (रुपये) | विनाहिट मण्डी क्षेत्र में से का भुगतान हो चुका है | प्रसंस्करण/ निर्गमन/ विक्रय हेतु व्यापारियों को बिलों से विक्रय निर्गमन |
| (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| वजन/मात्रा जिस पर मण्डी फीस देय है | मूल्य जिस पर मण्डी फीस देय है | मूल्य जिस पर मण्डी फीस का भुगतान हो चुका है | राज्य के के बाहर अनुजा-पत्रों से विक्रय | विक्रय/ निर्गमन वजन/मात्रा | स्टाक वजन/मात्रा |
| (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) |

नोट.—(1) कॉलम 9, 11, 13 के संबंध में विक्रेता/व्यापारी का नाम, पता, बिल क्रमांक, तारीख, कृषि उपज का नाम, वजन/मात्रा, योग सहित सूची आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी।

(2) कॉलम नं. 24, 25 26 एवं 27 के संबंध में :—

(क) मण्डी क्षेत्र के भीतर स्थानीय विक्रय की सूची, जिसमें क्रेता व्यापारी का नाम, व्यापारी फर्म द्वारा जारी बिल क्र., दिनांक एवं मात्रा का योग;

(ख) मण्डी क्षेत्र या राज्य के बाहर निर्गमन/विक्रय के संबंध में अनुज्ञा-पत्र/बिल क्र., दिनांक, क्रेता व्यापारी का नाम, स्थान एवं मात्रा योग सहित अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी है, इसके बिना प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रस्तुत की गई जानकारी अपूर्ण मानी जाएगी जो नियम 32 के उपनियम (2) के अधीन कार्रवाई का कारण होगी।

(3) कॉलम नं. 25 के संबंध में प्रसंस्करण हेतु निजी उपयोग की दशा में प्रसंस्करण पंजी की सत्यापित की छायाप्रति भी उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी फर्म के घास उपलब्ध प्रमाणित, सत्य तथा सही लेखाओं एवं दस्तावेजों पर आधारित है, जांच/मिलान कर दी गई है एवं पूर्ण रूप से सही है।

स्थान :

हस्ताक्षर-व्यापारी/फर्म/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज

तारीख :

प्रतिनिधि

नाम

पदनाम

प्ररूप—आठ

[नियम 22 का उप-नियम (4) देखिये]

विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में क्रय केन्द्र पर दैनिक क्रय की पंजी

क्रय केन्द्र

विशेष अनुज्ञाप्राप्ति धारक का नाम

का नाम

क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम

तारीख

पद / हैसियत

| अनु. क्रमांक | विक्रेता का नाम | पता | क्रय की गई ¹ उपज का नाम | मात्रा/वजन | दर (रुपये) | कृषि उपज का मूल्य (रुपये) | भुगतान की गई राशि (रुपये) | विक्रय वात्तचर का क्रमांक/तारीख (9) |
|-----------------|--------------------|-----|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

प्रशासनिक मण्डी समिति को विक्रय
वाउचर प्रस्तुत करने की तारीख

(10)

इस वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती दिवस तक
क्रय केन्द्र पर क्रय की गई¹
कृषि उपज की मात्रा

(11)

इस वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती दिवस तक
क्रय केन्द्र पर क्रय की गई¹
कृषि उपज का मूल्य

(12)

प्रबंधक/क्रय केन्द्र के प्रभारी हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/हैसियत

उपांग-1

(व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज का नाम)

विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में, अन्य मण्डी क्षेत्र एवं राज्य के बाहर से अधिसूचित कृषि उपज/उपजों का क्रय

(पाक्षिक रिपोर्ट-प्रस्तुत-छह के कॉलम 2, 3, 4, 5 के संबंध में)

| अनु. क्रमांक | क्रय की गई ¹ कृषि उपज का नाम | क्रय की गई ¹ मात्रा/वजन | उपज का मूल्य | विक्रेता व्यापारी का नाम, जिसने उपज का विक्रय किया | स्थान | बिल/ अनुज्ञा-पत्र क्रमांक | बिल/ अनुज्ञा-पत्र की तारीख |
|-----------------|---|---------------------------------------|-----------------|--|-------|---------------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी व्यापारी फर्म के लेखाओं तथा दस्तावेजों पर आधारित है और सही है।

तारीख

व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

उपाबंध-2

(व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज का नाम)

विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र से अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय/निर्गमन के संबंध में पाक्षिक विवरणी

(कॉलम 5, 7, 9, 11 एवं 13 के विक्रय/निर्गमन के संदर्भ में)

| अनु- क्रमांक | कृषि उपज का नाम | क्रेता व्यापारी का नाम, जिसको उपज का विक्रय किया गया | स्थान | जारी किये गये बिल का क्रमांक | दिनांक | उपज की मात्रा | उपज का मूल्य |
|-----------------|--------------------|--|-------|---------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी व्यापारी फर्म के पास उपलब्ध लेखाओं तथा दस्तावेजों पर आधारित है और सही है।

तारीख

व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज प्रतिनिधि के

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. बघेल, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2009

क्र. डी-15-33-2007-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 मार्च 2009 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. बघेल, अपर सचिव,